संख्या-30/2022/231/24-1-22-3994/2015

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,
शक्ति भवन, लखनऊ।

ऊर्जा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 04 मार्च, 2022**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2021-22 में भारत सरकार की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत आरईसी, नई दिल्ली द्वारा वितरण निगमों को सीधे अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष समायोजन के माध्यम से वित्तीय स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिशासी निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के पत्र संख्या-1910/अधि0नि0(वित्त)2निधि-।।/आर0जी0जी0वाई/304/2017-18, दिनांक 13 जनवरी, 2022 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-9 के लेखा शीर्षक-4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय–06-ग्रामीण विद्युतीकरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-06-दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अन्तर्गत विद्युत वितरण कार्यों हेतु अंशपूॅजी (के.60/रा.10/नि0.30-के.)-30-निवेश/ऋण में प्राविधानित धनराशि रूपये 695,00,00,000/- (रूपये छः सौ पन्चांनवे करोड़ मात्र) में से धनराशि रूपये 300,00,00,000/- (रूपये तीन सौ करोड़ मात्र) को संलग्नक बी0एम0-09 के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 के अनुदान संख्या-9 के लेखाशीर्षक-''4801-बिजली परियोजनाओं पर पूॅजीगत परिव्यय-–06-ग्रामीण विद्युतीकरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश-03-त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम) हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में अंशपूॅजी विनियोजन(के.100,90 प्रतिशत अनुदान±10 प्रतिशत ऋण)-30-निवेश/ऋण'' में पुनर्विनियोजित करते हुए कुल प्राविधानित धनराशि रूपये 300,73,52,116/- (रूपये तीन सौ करोड़ तिहत्तर लाख बावन हजार एक सौ सोलह मात्र) को निम्नलिखित शर्तों के अधीन पुस्तक समायोजन के माध्यम से स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष अनुमति प्रदान करते हैं:-

http://shasanadesh.up.nic.in

(1) भारत निर्वाचन आयोग के पत्र संख्या-473/6/ECI/INST/MCC/2022, दिनांक 08.01.2022 द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा सामान्य निर्वाचन, 2022 की घोषणा के उपरान्त आर्दश चुनाव आचार संहिता लागू हो गयी है। निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा वर्तमान में लागू आदर्श चुनाव आचार संहिता के दृष्टिगत उसके पूर्ण अनुपालन की
कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लघंन न हो।

(2) निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा जिस मद में पुनर्विनियोग कर रहे हैं, उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में किसी प्रकार की धनराशि की मांग नहीं करेंगे तथा स्वीकृत कार्य पर ही धनराशि व्यय करेंगे।

(3) जिस मद में पुनर्विनियोग प्रस्तावित है उस मद में सम्पूर्ण धनराशि का नियमानुसार सदुपयोग इस वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा।

(4) प्रस्तावित पुनर्विनियोग केवल बजट आवंटन के उद्देश्य से धनराशि की उपलब्धता हेतु किया जा रहा है। निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा इसका व्यय समस्त सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए करेंगे।

(5) पुनर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का सदुपयोग वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले आडिट आपत्ति हेतु निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 उत्तरदायी होंगे।

(6) स्वीकृत धनराशि व्यय किये जाने के पूर्व वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22 मार्च, 2021 एवं समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों का पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का आहरण उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा नगद न करके पुस्तक समायोजन द्वारा किया जायेगा।

3- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु कारपोरेशन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रपत्र संख्या-42जी/शुद्ध पत्र संख्या-426, दिनांक 13-जुलाई, 1971 द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर बिल बनाकर प्रतिहस्ताक्षर हेतु ऊर्जा अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष समय-समय पर व्यय की गयी धनराशि का सम्पूर्ण विवरण यथा कोषागार का नाम जहाँ से धनराशि आहरित की गयी है, बाउचर संख्या, आहरण की तिथि, लेखा शीर्षक आदि तथा आहरित धनराशि के संबंध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार, उत्तर प्रदेश प्रयागराज/लखनऊ और ऊर्जा विभाग/वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को नियमानुसार उपलब्ध कराने की बाध्यता होगी।

5- इस मद में निर्धारित विशिष्ट शर्तों का अनुपालन निदेशक (वित्त), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

6- इस संबंध में होने वाला व्यय धनराशि रूपये 300,73,52,116/- (रूपये तीन सौ करोड़ तिहत्तर लाख बावन हजार एक सौ सोलह मात्र) को वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-9 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक ''4801-बिजली परियोजनाओं पर

http://shasanadesh.up.nic.in

पूँजीगत परिव्यय-06- ग्रामीण विद्युतीकरण-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में

निवेश-03-त्वरित ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम (राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम) हेतु उत्तर प्रदेश विद्युत निगम में अंशपूँजी विनियोजन (के0-100,90 प्रतिशत अनुदान+10 प्रतिशत ऋण)-30-निवेश/ऋण'' के नामे डाला जायेगा तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0 द्वारा अनुदान के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रूपये 271,89,64,786/- (रूपये दो सौ इकहत्तर करोड़ नवासी लाख चौंसठ हजार सात सौ छियासी मात्र) को लेखाशीर्षक''-0801-बिजली-06-ग्रामीण विद्युतीकरण-800-अन्य प्राप्तियॉ-01-ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्तियॉ के अन्तर्गत तथा शेष धनराशि रूपये 28,83,87,330/- (रूपये अठ्ठाइर्स करोड़ तिरासी लाख सत्तासी हजार तीन सौ तीस मात्र) को लेखाशीर्षक-6003-00-109-09- 0902 में जमा की जायेगी।

7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-3446/दस-2021-22, दिनांक 03 मार्च, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

संख्या- 30/2022/231(1)/24-1-22, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- सचिव, कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- महालेखाकार, (लेखा एव हकदारी) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज-211001।
4- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम, उ0प्र0, सरोजनी नायडू मार्ग, प्रयागराज- 211001।
5- महालेखाकार, (आर्थिक एवं राजस्व लेखा परीक्षा), उ0प्र0, छठवां तल, केन्द्रीय भवन, सेक्टर- एच, अलीगंज, लखनऊ।
6- सचिव, ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
7- ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि0, नई दिल्ली।
8- मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
9- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

आनन्द कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in